राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

विषय : स्पेशल इकोनोमिक जोन में स्थापित होने वाली इकाईयों को विद्युत शुल्क से मुक्ति।

जयपुर दिनांक : 13.02.2003

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 के परन्तुक (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य में स्पेशल इकोनोमिक जोन में स्थापित इकाईयों एव उनमें स्थापित सामान्य जन सुविधाओं द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर उसके द्वारा संदेय विद्युत शुल्क को, विद्युत शुल्क संदाय करने के उसके दायित्व के प्रथम दिवस से दस वर्ष की कालावधि के लिए एतद् द्वारा परिहार करती है।

स्पष्टीकरण :

इस अधिसूचना हेतु स्पेशल इकोनोमिक जोन से तात्पर्य है कि यह जोन औद्योगिक, सेवाओं एवं व्यापार हेतु एक विशेष सीमांकित क्षेत्र है जोकि राजस्थान में या तो रीको द्वारा स्थापित किया जायेगा या निजी क्षेत्र में होगा। रीको द्वारा स्थापित स्पेशल इकोनोमिक जोन की सीमा रीको द्वारा तय की जायेगी तथा निजी क्षेत्रों में स्थापित होने वाले स्पेशल इकोनोमिक जोन की सीमा राज्य सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति, जोकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी, के द्वारा तय की जायेगी।

सं.प.4(10)वित्त/कर अनु./02-193

राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(आर.के. शर्मा)

विशेषाधिकारी, वित्त (राजस्व)